न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–55/2018

CIS NO. TS 81/2019

ललन प्रसाद.....वादी

बनाम

आनन्द वर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
28.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 26.11.2024 आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 26.11.2024 को आदेश 39 नियम 01, 02 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 26.11.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद के वादपत्र के मद सं0–01 में दी गई भूमि पर अपने हकियत की घोषणा, दखल कब्जा की सम्पुष्टि के साथ साथ अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। प्रतिवादी सं0–03 ता 05 ने वादग्रस्त भूमि से संबंधित दो किता फर्जी बयनामा दस्तावेज दिनांक 18.08.2023 एवं दिनांक 19.07.2023 बनाम प्रतिवादी सं0–06 एवं 07 निष्पादित कर दिया। वादी के आवेदन पर प्रतिवादी सं0–03 ता 07 को वाद में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण एकराय एवं साजिश के होकर वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करने पर अमादे है एवं इलाका के अपराधियों के साथ मिलकर वादी को नाजायज बेदखली का प्रयास कर चुके है जिसके लिए स्थानीय थाना द्वारा कानूनी कार्यवाही की गई तदपश्चात् वादी बेदखल होन से बचे। आज भी प्रतिवादीगण, वादी को बेदखली करने की योजना बना रहे है जिसको लेकर वादी को बार–बार धमकी दे रहे है एवं धमकी देर हे है कि वादग्रस्त भूमि पर चुप चोरी कोई निर्माण कर लेगें। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का हस्तांतरण करने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे है। वादपत्र में किये गये कथनों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मद सं0–01 के निस्वत प्रथम दृष्टया वाद एवं सुविधा की तुला वादी के पक्ष में है। अगर प्रतिवादीगण को	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–55/2018

CIS NO. TS 81/2019

ललन प्रसाद.....वादी

बनाम

आनन्द वर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 28.01.2025	वादी के शांतिपूर्ण दखल कब्जा में हस्तक्षेप करने से एवं वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में किसी तरह के हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वादी न्याय से वंचित हो जायेगा। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादग्रस्त भूमि मद सं0–01 से वादी को बेदखल करने एवं चुप चोरी कोई निर्माण करने या किसी तरह का हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने से वद के अंतिम फैसला तक प्रतिवादीगण को रोक दिया जाय। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 की ओर से वादी के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 13.12.2024 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टिकोण से विचारणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी द्वारा यह गलत कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा है तथा चोरी चुपके निर्माण कार्य करने की धमकी दे रहा है तथा भूमि के संदर्भ में स्थानांतरण विलेख निष्पादित करने वास्ते ग्राहक की तलाश कर रहे है। वादी एवं प्रतिवादी सं0–02 के पिता रघुनाथ प्रसाद को मौजा गोखुला एवं अन्य मौजा में बहुत सा एराजियात खतियानी एवं खरीदगी हासिल था। रघुनाथ प्रसाद अपने तीन लडकों मोहन प्रसाद, ललन प्रसाद एवं रमेश प्रसाद को छोडकर मर गये तथा कुल संपति तीनों भाई संयुक्त रूप से दखल कब्जा में चले आये। इसके अलावा तीनों भाईयों का मौजा–मथुरा में 02 बिगहा 12 कट्ठा 04 धुर भूमि जिसमें वादग्रस्त खेसरा–600 सामिल है निबंधित बदलैयानामा दस्तावेज दिनांक 10.04.1985 द्वारा हासिल हुआ। वर्ष 2001 में तीनो भाईयों के बीच कुल संपति का मौखिक बंटवारा हो गया तथा सभी अपने अपने हिस्से की एराजी पर दखलकार हो गयें। प्रतिवादी सं0–02 अपने हिस्से की 02 कट्ठा 05 धुर भूमि उचित जर समन प्राप्त कर प्रतिवादी सं0–01 के पक्ष में निबंधित दस्तावेज	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–55/2018

CIS NO. TS 81/2019

ललन प्रसाद.....वादी

बनाम

आनन्द वर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 28.01.2025	दिनांक 18.11.2017 को बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया। जिसके बाद प्रतिवादी सं0–01 वादग्रस्त भूमि पर दखलकार है। जाँच के उपरांत दाखिल खारिज की वैधानिक प्रक्रिया द्वारा जमाबंदी सं0–1479 अंचल द्वारा कायम किया गया। वादग्रस्त खेसरा–600 एवं अन्य भूमि दिनांक 10.04.1985 को निबंधित बदलैयानामा से प्राप्त है किन्तु वादी द्वारा एक जाली कोरा बंटवारा दिनांक 21.04.1981 का हवाला देकर वाद भूमि जो प्रतिवादी सं0–02 के हिस्से की एराजी है, को हडपने के नियत से वाद दाखिल किया है। सुविधा की तुला वादी के पक्ष में नही है बल्कि प्रतिवादी के पक्ष में है तथा प्रथम दृष्ट्या वाद भी प्रतिवादी का बनता है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा मद सं0–01 अर्जी नालिश पर वादी का स्वत्व एवं अधिकार एवं दखल कब्जा की घोषणा एवं अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि वादी के द्वारा इस आवेदन के साथ कुछ फोटोग्राफ दाखिल किया गया है जिसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ईट एक खाली भूमि पर रख गया है, परन्तु उसके अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह ईट किस भूमि पर रखा गया है तथा किस उद्देश्य से रखा गया है? अभिलेख पर अधिवक्ता आयुक्त का भी कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो सके कि विवादग्रस्त भूमि पर भवन निर्माण सामाग्री रखी गई है और निर्माण कार्य किया जाना है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 26.11.2024 को निष्तारित किया जाता है, परन्तु वादी चाहे तो अन्य साक्ष्य के साथ पुनः निषेधाज्ञा का आवेदन दाखिल कर सकता है।	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–55/2018

CIS NO. TS 81/2019

ललन प्रसाद.....वादी

बनाम

आनन्द वर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 28.01.2025	आगामी दिनांक 13.02.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	